

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013—भाद्र 25, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2.—छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में—

अनुसूची-दो की टीप 1, 2 एवं 3 को विलोपित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 16th September 2013

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29/Food-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, makes the following amendment in Schedule-II to the said Act, namely :—

AMENDMENT

In said Schedule,—

Note 1, 2 and 3 of Schedule-II shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.